(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–814–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–02–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–257/अपील/2001–02

.....

आनन्द प्रसाद शर्मा तनय श्री बलराम प्रसाद पाण्डे
निवासी–ग्राम नकझर कला थाना बहरी,
तहसील सिहावल, जिला–सीधी, म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

रामप्रताप शर्मा तनय स्व0 मटुकधारीराम
निवासी–ग्राम नकझर कला थाना बहरी,
तहसील सिहावल, जिला–सीधी, म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–02–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 के समक्ष उसके स्वामित्व की भूमियों का कम रकबे पूर्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। जिस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5/अ–3/1988–89 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 22.09.89 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित

किया गया, इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास के न्यायालय में अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 07/अपील/2000–01 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 10.12.2001 से आवेदक की अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 257/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2007 से अनावेदक की अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अपर आयुक्त एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश विधिनुकूल है। यदि अनावेदक सन् 1972–73 में तैयार किये गये अधिकार अभिलेख से व्यथित था तब उसे तत्समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाना चाहिये थी। नक्शा त्रुटि सुधार की अधिकारिता सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को नहीं है। यह अधिकारिता संहिता की धारा 107 के अधीन कलेक्टर को है। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नक्शे सुधार किये जाने का आदेश अधिकारिता रहित है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने अवैधानिकता की है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी में अधिकार अभिलेख की कार्यवाही के दौरान पाया गया कि अनावेदक वादग्रस्त भूमि का पूर्व से ही भूमिस्वामी था । वर्ष 1972–73 के भू–अभिलेख के नवनीकरण में मात्र नक्शों में त्रुटि की गई है तथा मौके पर आराजी उतनी ही है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवेदन लेकर व जांच उपरांत कार्यवाही करके ही विधिसंगत आदेश पारित किया है और जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र तकनीकी आधारों पर विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश विधिनुकूल एवं न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। अपर

आयुक्त रीवा ने इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 15.02.2007 में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता प्रकट नहीं होती । अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15.02.2007 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,